

Most Urgent/  
Time Bound

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

- ✓ सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।  
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: रथा०/०१/२०२१/१८६९। -८३०

दिनांक: ०२/०४/२०२१

Subject:- Regarding providing of email ids (NIC only).

सचिव, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, चंडीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 1013-47/Secretary/HRTSC/2021 दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत श्रम विभाग व हरियाणा भवन एवं अन्य सर्विसेज कर्मकार कल्याण बोर्ड की जिन सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है, उनमें से कुछ सेवाओं में उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व सहायक श्रम आयुक्त को बतौर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारण घोषित किया हुआ है। इन सेवाओं से सम्बन्धित प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारण की एन०आई०सी० द्वारा जारी ई-मेल आई०डी० की सूचना हरियाणा सेवा अधिकार आयोग को भेजी जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-२ कार्यालयों से सम्बन्धित एन०आई०सी० ई-मेल आई०डी० मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-२ भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके कार्यालय की एन०आई०सी० ई-मेल आई०डी० नहीं बनी हुई है तो ऐसी दशा में एन०आई०सी० के क्षेत्रिक कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करते हुए अति शीघ्र एन०आई०सी० ई-मेल आई०डी० बनवाकर भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृप्या इसे परम अग्रता देवें।

  
अधीक्षक (स्था०),  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Most Urgent/  
Time Bound

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

सहायक निदेशक,  
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,  
आई०टी० सैल, मुख्यालय चंडीगढ़।

क्रमांक: स्था०/०१/२०२१/

दिनांक:

Subject:- Regarding providing of email Ids (NIC only).

सचिव, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, चंडीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 1013-47/Secretary/HRTSC/2021 दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत श्रम विभाग, हरियाणा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एवं हरियाणा भवन एवम् अन्य सर्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 33 सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है, जिनमें प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग/श्रम आयुक्त/कल्याण आयुक्त/उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/उप श्रम आयुक्त(कल्याण)/सहायक श्रम आयुक्त इत्यादि को बतौर प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण घोषित किया हुआ है। इन सेवाओं से सम्बन्धित प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारण की एन०आई०सी० द्वारा जारी ई-मेल आई०डी० की सूचना हरियाणा सेवा अधिकार आयोग को भेजी जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालयों की एन०आई०सी० ई-मेल आई०डी० बनवाने में सहयोग करें।

कृप्या इसे परम अग्रता देवें।

- ५१ -

अधीक्षक (स्था०),

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ०क्रमांक: स्था०/०१/२०२१/ १७७३४-२२ दिनांक: ०२/०८/२०२१,

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजते हुए सूचित किया जाता है कि यदि एन०आई०सी० ई-मेल आई०डी० बनवाने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, आई०टी० सैल मुख्यालय चंडीगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं:-

- 1 निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
- 2 संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन एवम् अन्य सर्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
- 3 उप श्रम आयुक्त (कल्याण), कार्यालय हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
- 4 सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
- 5 सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।



अधीक्षक (स्था०),

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।